

भागीरथ पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
—अपीलांत

बनाम

- 1 बलवन्त पुत्र स्व. श्री मोटाराम जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 2 बनवारी पुत्र स्व.श्री मोटाराम जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 3 मदनलाल पुत्र स्व.श्री मोटाराम जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 4 रविना पुत्री स्व.श्री मोटाराम पत्नी श्री पृथ्वी जी डिढारिया जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 5 विधा पत्नी स्व.श्री मोटाराम जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
- 7 उप पंजीयक सूरतगढ़।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित:-

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत
2. पैरोकार राज, रेस्पोंडेंट संख्या 6

--: निर्णय :-

दिनांक : 25.10.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता न 1 के पत्थर न 83/380 के किला न 1-2-4-5 में 1.012 हैक् कमाण्ड व खाता संख्या खाता न 19 के पत्थर न 83/380 के किला न 3-7 ता 13 -19 ता 22 में 3.036 हैक् व पत्थर न 84/380 के किला न 16-24-25 में 0.759 हैक् कुल 3.795 हैक् कमाण्ड खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। इस रकबा में से खातेदार मोटाराम ने जीवनकाल में ही खाता न 1 के पत्थर न 83/380 के किला न 5 की 0.013 हैक् व खाता न 19 के पत्थर न 83/380 के किला न 21 की 0.240 हैक् व किला न 22 की 0.253 हैक् इस प्रकार कुल 0.506 हैक् रकबा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को रकबा बैचान कर कब्जा अपीलांत को सौंप कर रजिस्टर्ड बैयनामा अपीलांत के पक्ष में उप पंजीयक सूरतगढ़ से तस्दीक करवा दिया। अपीलांत ने उसी समय उक्त बैयनामा की फौटो प्रति पटवारी हल्का को दे दी परन्तु पटवारी हल्का ने अपीलांत के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं किया व रेस्पोंडेंट्स के पिता मोटाराम के फौत हो जाने के बाद रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 ता 5 ने अपने पिता के शेष रकबा का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाते समय अपीलांत द्वारा खरीदे गये रकबा का भी इन्तकाल न. 142 दिनांक 06.06.2024 से अपने नाम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ से स्वीकृत करवा लिया है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर जैर अपील इन्तकाल निरस्त किया जावे तथा अपीलांत द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 05.03.2018 द्वारा खरीदशुदा भूमि का इन्तकाल अपीलांत के नाम से दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 01 को सम्मन विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम चुघ द्वारा उपरिस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया परन्तु आज अनुपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट संख्या 6 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। रेस्पोंडेंट संख्या 7 को नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो शामिल की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)



बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील गीगों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं कथन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने खातेदारी रकबा यथा तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता न 1 के पत्थर न 83/380 के किला न 1-2-4-5 में 1.012 हैक् कमाण्ड व खाता संख्या 19 के पत्थर न 83/380 के किला न 3-7 ता 13 -19 ता 22 में 3.036 हैक् व पत्थर न. 84/380 के किला न. 16-24-25 में 0.759 हैक् कुल 3.795 हैक् कमाण्ड खातेदारी रकबा में से खाता न. 1 के पत्थर न 83/380 के किला न 5 की 0.013 हैक् व खाता न 19 के पत्थर न. 83/380 के किला न 21 की 0.240 हैक्. व किला न 22 की 0.253 हैक् इस प्रकार कुल 0.506 हैक् रकबा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा अपीलांट को बेचान कर दी व कब्जा अपीलांट को सौंप दिया था। इस प्रकार बैयनामा पंजीयन होते ही इस रकबा से विक्रेता के खातेदारी अधिकार/हित समाप्त हो गये थे। इस रकबा में जब मृतक स्वयं के अधिकार समाप्त हो गये तो उसके मरने के बाद यह रकबा रेस्पोंडेंट्स के नाम विरास्तन इन्तकाल से दर्ज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैर अपील रकबा का बेचान रेस्पोंडेंट न 1 की गवाही में ही हुआ है। पंजीकृत बैयनामा का एक गवाह रेस्पोंडेंट न. 1 ही है तथा दुसरा गवाह राजकुमार पुत्र लच्छीराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा था। इन दोनों की उपस्थिति में ही बैयनामा पंजीयन हुआ था। रेस्पोंडेंट न. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय से सारे तथ्य छिपाकर जैर अपील इन्तकाल विधी विरुद्ध स्वीकृत करवा लिया। जैर अपील रकबा पर रजिस्टर्ड बैयनामा सम्पादन की दिनांक 05.03.2018 से ही अपीलांट का चला आ रहा है व अपीलांट ही पंजीकृत बैयनामा के आधार पर अपने खरीदे गये रकबा का खातेदार हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तरह की जांच किये ही अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत कर दिया। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैयनामा दस्तबरदारी विरास्तन इत्यादि इन्तकाल ग्राम पंचायत तस्दीक करेगी। इस प्रकार इस इन्तकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को था। श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ़ ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकार किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील इन्तकाल निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.03.2018 द्वारा खरीदशुदा रकबा का इन्तकाल अपीलांट के पक्ष में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोंडेंट संख्या 6 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम ने अपने खातेदारी रकबा यथा तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता न 1 के पत्थर न 83/380 के किला न 1-2-4-5 में 1.012 हैक् कमाण्ड व इसी चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता न 19 के पत्थर न 83/380 के किला न 3 - 7 ता 13 -19 ता 22 में 3.036 हैक् व पत्थर न 84/380 के किला न 16 24-25 में 0.759 हैक् कुल 3.795 हैक् कमाण्ड खातेदारी रकबा में से खाता न. 1 के पत्थर न 83/380 के किला न 5 के 0.013 हैक् व खाता न 19 के पत्थर न 83/380 के किला न 21 में से 0.240 हैक् व किला न 22 का .253 हैक् कुल 0.506 हैक् रकबा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 05.03.2018 को बेचान कर दी थी। परन्तु बेचान का इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोटाराम की शेष भूमि का विरास्तन करते समय मोटाराम द्वारा दिनांक 05.03.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा बेचान की गई भूमि का भी इन्तकाल दर्ज कर दिया जो विधी विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इन्तकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है, जिसे निरस्त करना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसील सूरतगढ़ का इन्तकाल संख्या 142 स्वीकृति दिनांक 06.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा मृतक खातेदार द्वारा दिनांक 05.03.2018 को निष्पादित किये गये रजिस्टर्ड बैयनामा का भलीभांती अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 .10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीद्वंगानगर)

